उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4081 /
II-14-64/2017

जबलपुर, दिनांक 01 / ~~08~~ 09 / 2018

श्री सुनील मोहे, सहायक ग्रेड–दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4184/दो–14–64/2017, जबलपुर दिनांक 11.10.2017 द्वारा विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांचकर्ता अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 24.03.2018 में प्रकरण प्रथम अपील क्रमांक 135/2002 आपकी अभिरक्षा से गुम करने एवं चार्ज के आदान–प्रदान करते समय कूटरचित तरीके से सरल क्रमांक–176 पर सही का निशान लगाने के पश्चात काटने का घोर कदाचार करने के आरोप सिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप आपको मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(पॉच) सहपठित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) के अंतर्गत 2 वर्ष की कालावधि के लिए अवनत करके वेतन के समयमान के निम्नतर प्रक्रम में लाये जाने के दंड से इस निर्देश के साथ दण्डित किया जाता है कि वे उक्त अवनति की कालावधि के दौरान वेतनवृद्धियां उपार्जित नहीं करेंगे। अवनति की कालावधि समाप्त हो जाने पर उक्त अवनति उनके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने का प्रभाव नहीं रखेंगी।

01.09.18

(प्रकाश चंद्र गुप्ता)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक C/4082 /

जबलपुर, दिनांक 01 / ~~08~~ 09 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल. न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/इंदौर
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार, ... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्री सुनील मोहे, सहायक ग्रेड दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)